-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 10. 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री की/ रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गशत व चैकिंग के दौरान नशा 01शातिर तस्कर **अभियुक्त महफूज पुत्र कल्लू निवासी हसन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर** को परवेज की आरा मशीन के पास खाताखेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 93/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट मे पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा नशीले पदार्थों की खरीदबिक्री करता / हूँ। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह स्मैक जिसे मैं अज्ञात व्यक्तियों से खरीदकर लाया था इस स्मैक को कुछ तो मैं पी लेता हूँ और कुछ को बेच देता हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

अभियुक्त महफूज पुत्र कल्लू निवासी हसन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी स0पुर

बरामदगी का विवरणः–

- 10.20 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. है0का0 717 कपिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
4. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

दिनांकः 08.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब ,कच्ची शराब बनाने के उपकरण एंव 30 लीटर लहन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.03.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1.आयोग उर्फ बिट्टू पुत्र महिपाल 2. कटारा पुत्र मंगू निवासीगण ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को ग्राम सिरसका के जंगल से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची करीब शराब, शराब बनाने के उपकरण (01 टीन का ड्रम,01 कटा हुआ टीन का तसला , 2.5 फुट प्लास्टिक का पाईप, 01 बडा टीन का तसला ,03 प्लास्टिक की कटी हुयी जरीकैन,एंव 30 लीटर लहन बरामद हुआ। 30 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 66/25 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयानः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया की हम कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम दोनो अपने गाँव के जंगल में जाकर कच्ची शराब बनाकर आसपास के क्षेत्रो मे बेचते है जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. आयोग उर्फ बिट्टू पुत्र महिपाल निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. कटारा पुत्र मंगू निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

40 लीटर अवैध कच्ची शराब

शराब बनाने के उपकरण (01 टीन का ड्रम,01 कटा हुआ टीन का तसला , 2.5 फुट प्लास्टिक का पाईप,01 बडा टीन का तसला ,03 प्लास्टिक की जरीकैन)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 2464 आकाश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर